HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2378/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No.3072/2025

1. Ajay Kumar @ Chiman S/o Ramavtar, Aged About 24 Years, R/o Ward No. 11, Gudhagaurji, P.s. Gudhagaurji, District Jhunjhunu (Raj.) (At Present Confined In District Jail Jhunjhunu)
2. Kamal @ Kamlesh S/o Ramchandra, Aged About 29 Years, R/o Ward No. 11, Gudhagaurji, P.s. Gudhagaurji, District Jhunjhunu (Raj.) (At Present Confined In District Jail Jhunjhunu)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. M.K. Kaushik, Mr. Sanjeev Mahala Mr. Vijay Punia
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Sainy, P.P. with Mr. Navdeep Singh Mr. Aquif Khan

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

17/04/2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **अजय कुमार उर्फ चिमन एवं कमल उर्फ कमलेश** की ओर से धारा 430 बीएनएसएस के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**सेशन न्यायाधीश, झुंझुनूं (राज0)** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**21/2023(सी. आई.एस. नंबर–27/2023) राजस्थान राज्य** बनाम **अजय कुमार एवं अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **18.11.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण

को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम **दस वर्ष** के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विचारण के दौरान वे दिनांक 14.05.2022 से 17.06.2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं तत्पश्चात वे जमानत पर आजाद रहे हैं तथा वर्तमान में वे निर्णय की दिनांक 18.11.2025 से लगतार अभिरक्षा में हैं। उनका यह भी तर्क है कि गवाह पी0डब्ल्यू–8 शकील एवं पी0डब्ल्यू–14 राहुल पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 436 भा0दं0सं0 की साक्ष्य नहीं होते हुए भी उन्हें उक्त अपराध में दोषसिद्ध किया गया है, अभियुक्तगण को वादग्रस्तस्थल पर आग लगाते हुए किसी ने नहीं देखा, सभी गवाहान सुनी–सुनाई साक्ष्य बताते हैं, सभी साक्षीगण ने अपनी जिरह में यह बताया है कि उनके द्वारा अभियुक्तगण को आग लगाते हुए नहीं देखा, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य एवं तथ्यों का समग्रता से विवेचन एवं विश्लेषण नहीं किया है। अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं योग्य अधिवक्ता परिवादी ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा ही आग लगाने की धमकी दी गई, तत्पश्चात् उनके द्वारा ही आग लगाई गई है, अतः प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, साक्षीगण की साक्ष्य एवं संपूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः साक्ष्य

की प्रकृति, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति, प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे इस न्यायालय में दिनांक **18.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. अजय कुमार उर्फ चिमन पुत्र श्री रामावतार एवं 2. कमल उर्फ कमलेश पुत्र श्री रामचन्द्र** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI /48